सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

(2021-22)

सत्रहवीं लोक सभा

92

बानवेवां प्रतिवेदन

[हरियाणा प्राथमिक शिक्षा परियोजना परिषद, पंचकुला के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के संबंध में समिति के छत्तीसवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर शिक्षा मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग) द्वारा की-गई कार्रवाई]

(05.08.2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

अगस्त, 2022/ , श्रावण,1944 (शक)

विषय-सूची

पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति(2021-2022) की संरचना

प्राक्कथन*

प्रतिवेदन — हरियाणा प्राथमिक शिक्षा परियोजना परिषद, पंचकुला के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के संबंध में समिति के छत्तीसवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर शिक्षा मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग) द्वारा की-गई कार्रवाई। 01

परिशिष्ट

परिशिष्ट-एक — समिति के **छत्तीसवें** प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/ टिप्पणियों पर शिक्षा मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग) द्वारा की-गई कार्रवाई को दर्शाने वाला उत्तर 03

परिशिष्ट-दो — समिति की दिनांक, 01.08.2022 को हुई बैठक के कार्यवाही सारांश से उद्धरण 09

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2021-22), लोक सभा की संरचना

श्री रितेश पाण्डेय - सभापति

सदस्य

2. डॉ. शफ़ीकुर्रहमान बर्क
3. श्री मारगनी भगत
4. डॉ. ए. चेल्लाकुमार
5. श्री पल्लब लोचन दास
6. श्री चौधरी मोहन जटुआ
7. चौधरी महबूब अली कैसर
8. डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे
9. श्री राजा अमरेश्वर नाईक
10. श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल
11. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
12. श्री टी. एन. प्रथापन
13. श्री एस. रामलिंगम
14. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका
15. श्री अशोक कुमार यादव

सचिवालय

1. श्रीमती सुमन अरोड़ा - संयुक्त सचिव
2. श्री सुन्दर प्रसाद दास - निदेशक
3. श्री उत्तम चंद भारद्वाज - अपर निदेशक

<u>प्राक्कथन</u>

मैं, सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति का सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर **हरियाणा प्राथमिक शिक्षा परियोजना परिषद, पंचकुला** के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब से संबंधित **छत्तीसवें** प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में समिति द्वारा की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी यह **बानवेवां** प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

2. **छत्तीसवें** प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) 11.12.2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था। शिक्षा मंत्रालय ने 14.03.2022 को अपने उत्तर प्रस्तुत किए, जो **छत्तीसवें** प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर की गई कार्रवाई को दर्शाते हैं। समिति ने 01 **अगस्त,** 2022 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया।

3. समिति, समिति से संबद्ध लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों द्वारा उन्हें प्रदान की गई बहुमूल्य सहायता की सराहना करती है।

4. समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को प्रतिवेदन के अंत में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

नई दिल्ली; **रितेश पाण्डेय**

<u>03 अगस्त, 2022</u> **सभापति**

12 श्रावण,1944 (शक) **सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति**

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2021-22), लोक सभा

हरियाणा प्राथमिक शिक्षा परियोजना परिषद, पंचकुला के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के संबंध में समिति के छत्तीसवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर शिक्षा मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग) द्वारा की-गई कार्रवाई संबंधी प्रारूप प्रतिवेदन।

समिति का यह प्रतिवेदन हरियाणा प्राथमिक शिक्षा परियोजना परिषद, पंचकुला(एचपीएसपीपीपी) के वर्ष 2015-2016 से 2019-2020 तक के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के संबंध में सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2020-2021) द्वारा अपने छत्तीसवें प्रतिवेदन(17वीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर शिक्षा मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग) द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित है, जिसे 11.02.2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था।

2. उक्त प्रतिवेदन की सभी टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में की-गई-कार्रवाई उत्तर शिक्षा मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग) से 02 मार्च, 2022 को प्राप्त हो गए हैं। तदनुसार, छत्तीसवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर शिक्षा मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग) द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला उत्तर **परिशिष्ट** में दिया गया है।

3. समिति शिक्षा मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग) द्वारा प्रस्तुत की गई कार्रवाई उत्तरों से यह नोट करती है कि शिक्षा मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग) द्वारा निधियों का संवितरण उपयोग और हिसाब में लेने का कार्य कुशल और प्रभावी रूप से किया जाना सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय प्रबंधन और प्रापण मैनुअल लागू किया गया है जो बजट तैयार करने और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया, लेखा और लेखापरीक्षा अपेक्षाओं और खरीद प्रक्रियाओं के लिए दिशा-निर्देश का कार्य करती है। शिक्षा मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग)ने राज्यों पर वार्षिक प्रतिवेदन समय पर प्रस्तुत करने हेतु समय सीमा का अनुपालन किए जाने के लिए भी जोर डाला था। समिति अपने मूल प्रतिवेदन में उसके द्वारा की गई सिफारिशों के अनुपालन के लिए मंत्रालय और एचपीएसपीपीपी दोनों के द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करती है और यह पाती है कि वर्ष 2020-2021 के एचपीएसपीपीपी के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और समीक्षा विवरण को निर्धारित समय के भीतर एक साथ 14.12.2021 को सभा पटल रखा गया हैं।

समिति आशा करती है कि एचपीएसपीपीपी शिक्षा मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग) द्वारा दी गई समय सीमा का अनुपालन करेगा और एचपीएसपीपीपी के अपेक्षित दस्तावेज भविष्य में निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर रखे जाएंगे जैसा कि शिक्षा मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग) ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में आश्वस्त किया है।

नई दिल्ली; रितेश पाण्डेय

01 अगस्त, 2022 सभापति

10 श्रावण,1944 (शक) सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

<u>परिशिष्ट</u>

(*देखिये प्रतिवेदन का पैरा 02*)

समिति के छत्तीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोकसभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर शिक्षा मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग) द्वारा की गई कार्रवाई दर्शाने वाला उत्तर

हरियाणा प्राथमिक शिक्षा परियोजना परिषद, पंचकुला

<u>सिफारिश क्रम संख्या 21</u>

समिति नोट करती है कि वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित प्रतिवेदनों को सभापटल पर रखने की समय सीमा और प्रक्रियाओं को जानने के बावजूद, सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), हरियाणा प्राथमिक शिक्षा परियोजना परिषद के वर्ष 2015-2016 से 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखा परीक्षित लेखाओं को शिक्षा मंत्रालय द्वारा ढाई महीने से लेकर 11 महीने तक के विलंब के साथ सदन के पटल पर रखा गया था। इस प्रकार, मंत्रालय/एसएसए वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 9 महीनों के भीतर अपने दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की संसदीय आवश्यकता का अनुपालन करने में विफल रहा है। मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों पर विचार के समय सदन द्वारा इन दस्तावेजों की जांच के लिए संगठन के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को समय से सभापटल पर रखना आवश्यक है। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय/एसएसए को प्रणालीगत खामियों को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए ताकि परिहार्य विलंब को समाप्त किया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्धारित समय अवधि के भीतर आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखे गए हैं।

<u>सरकार का उत्तर</u>

राज्य कार्यान्वयन सोसाइटी संबंधित राज्य सरकारों के साथ सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत हैं और उचित लेखाओं और अन्य प्रासंगिक अभिलेखों के रखरखाव के साथ-साथ प्राप्तियों और भुगतान लेखाओंऔर देनदारियों के विवरण वाले वार्षिक लेखे तैयार करने के लिए जिम्मेदार हैं।

कार्यक्रम प्रबंधन में कार्यान्वयन एजेंसियों का मार्गदर्शन और सहायता करने के लिए, शिक्षा मंत्रालय, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने वित्तीय प्रबंधन और खरीद नियमावली (एफएमपी मैनुअल) में

प्रक्रियाओं, नियमों और विनियमों को एक स्थान पर एक साथ लाया है।

एफएमपी मैनुअल का उद्देश्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पूरे देश में अपनाई जाने वाली बजट और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं, लेखांकन और लेखा परीक्षा आवश्यकताओं और अधिप्राप्ति प्रक्रियाओं के लिए एक मार्गदर्शिका के रूप में उपयोग किया जाना है। मैनुअल में निर्धारित प्रावधान अनिवार्य हैं और राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा इसका पालन किया जाना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निधियों का संवितरण, उपयोग और लेखा-जोखा कुशल और प्रभावी तरीके से किया जाए।

मंत्रालय वार्षिक प्रतिवेदनों को समय पर प्रस्तुत करने के अनुपालन के लिए राज्य को सख्त समय सारिणी का पालन करने पर जोर देता है।इस संबंध में शिक्षा सचिवों को एक अ.शा.पत्र दिनांक 08.01.2020 को जारी किया गया-**अनुबंध – एक** ।

राज्य सरकार ने सूचित किया है कि जारी निर्देशों के अनुसार, उपचारात्मक उपाय पहले ही किए जा चुके हैं और मंत्रालय को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में विलंब को रोकने के लिए राज्य द्वारा सभी संबंधितों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं और परिणामस्वरूप, वित्त वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे मंत्रालय को अंतिम तिथि से पहले (अर्थात 29.09.2020 को) समय पर प्रस्तुत किए गए थे और सिफारिशों को भविष्य के लिए नोट कर लिया गया है।

[शिक्षा मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग) का.ज्ञा. सं. 4-2/2021- आईएस-10/आईएस.8) दिनांक 2 मार्च, 2022]

सिफारिश क्रम संख्या 22

वर्ष 2015-2016 से 2018-2019 तक एसएसए के दस्तावेजों को सभापटल पर रखने में विलंब के कारणों की जांच करते हुए, समिति नोट करती है कि इन वर्षों के लिए एसएसए के वार्षिक लेखाओं को प्रस्तुत करने के बाद, लेखापरीक्षा अधिकारियों ने वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा करने और प्रारूप लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में 88 से 188 दिनों तक का समय लिया। समिति यह भी नोट करती है कि इन वर्षों के लिए प्रारूप लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और अंतिम लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्त करने के बीच का समय 07 से 28 दिनों का था। इसलिए, समिति वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा की प्रक्रिया में लंबा समय लेने के

विशिष्ट कारणों को जानना चाहती है और उनके द्वारा प्रस्तावित उपचारात्मक उपाय भी जानना चाहती है ताकि लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा लेखापरीक्षा कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा सके।

<u>सरकार का उत्तर</u>

राज्य सरकार ने 2015-16 से 2018-19 तक एसएसए के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में विलंब के निम्नलिखित कारण बताए हैं:

(एक) सीए फर्म की नियुक्ति में विलंब।

(दो) राज्य परियोजना निदेशक का बार-बार स्थानांतरण। इस दौरान 9 एसपीडी बदले गए।

(तीन) सर्व शिक्षा अभियान की कार्यकारी समिति (ईसी) की अनियमित बैठकें।

साथ ही, सभी संबंधितों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन समय पर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए लेखापरीक्षित लेखे 29.09.2020 को समय पर मंत्रालय को प्रस्तुत किए गए। भविष्य में कोई विलंब नहीं होने का आश्वासन भी दिया जाता है।

[शिक्षा मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग) का.ज्ञा. सं. 4-2/2021- आईएस-10/आईएस.8) दिनांक 2 मार्च, 2022]

<u>सिफारिश क्रम संख्या 23</u>

उक्त वर्षों के लिए सर्व शिक्षा अभियान के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब का एक अन्य कारक मंत्रालय/सर्व शिक्षा अभियान द्वारा हिन्दी अनुवाद प्राप्त करने और दस्तावेजों की छपाई में लिया गया समय था। मंत्रालय/सर्व शिक्षा अभियान ने उक्त वर्षों के लिए इस प्रक्रिया में 45 से 190 दिनों तक का समय लिया। समिति का मानना है कि ये कारक सर्व शिक्षा अभियान के नियंत्रण में अच्छी तरह हैं और इस कारण से यदि कोई विलंब हो, तो इसके प्रबंधन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। समिति को उम्मीद है कि सर्व शिक्षा अभियान भविष्य में इस तरह के अनुचित विलंब से बचने के लिए कदम उठाएगा।

सरकार का उत्तर

मंत्रालय वार्षिक प्रतिवेदनों को समय पर प्रस्तुत करने संबंधी अनुपालन के लिए राज्य पर सख्ती से समय सारणी का पालन करने पर जोर देता है। इस संबंध में शिक्षा सचिवों को दिनांक 08.01.2020 का अ. शा. पत्र जारी किया गया था – **अनुबंध-एक**।

राज्य सरकार ने यह भी बताया है कि भविष्य में अनुपालन के लिए सिफारिश को नोट कर लिया गया है।

[शिक्षा मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग) का.ज्ञा. सं. 4-2/2021- आईएस -10/आईएस.8) दिनांक 2 मार्च, 2022]

सिफारिश क्रम सं. 24

समिति इस बात से भी हैरान है कि मंत्रालय ने दिनांक 14.05.2019 को एसएसए से दस्तावेज प्राप्त होने के बाद, वर्ष 2017- 2018 के एसएसए के दस्तावेजों पर कार्रवाई करने और इनको सभा पटल पर रखने में 07 महीने क्यों लगाए। समिति महसूस करती है कि यदि मंत्रालय स्वयं ऐसा उदासीन और असावधानीपूर्ण रवैया दिखाता है, तो जो संगठनों और निकायों मंत्रालय से मार्गदर्शन की अपेक्षा रखते है,उनसे परिणाम की आशा नहीं की जा सकती। अतः समिति मंत्रालय से भविष्य में, ऐसे विलंब से बचने का आग्रह करती है।

सरकार का उत्तर

कार्य पुनः आवंटन जैसे प्रशासनिक कारणों से (बड़ी संख्या में फाइलों को अन्य अनुभागों से स्थानांतरित किया गया, फाइलों की जांच करने और सुव्यवस्थित करने में कर्मचारियों की कमी के कारण काफी समय लगा (चूँकि उस अवधि के दौरान इस अनुभाग में कोई एएसओ, एसएसए, जेएसए नहीं था) इसलिए वर्ष 2017-18 के वार्षिक प्रतिवेदन को केवल उसी वर्ष विशेष के लिए समय से सभापटल पर नहीं रखा जा सका। हालांकि, एक बार रिकॉर्ड को सुव्यवस्थित करने के बाद, वर्ष 2018-19 और 2019-20 के वार्षिक प्रतिवेदनों को प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् होने वाले पहले संसद सत्र में सभापटल पर रखा गया। भविष्य में, ऐसे विलंब से बचने के लिए समिति की सलाह का पालन किया जा रहा है।|

[शिक्षा मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग) का.ज्ञा. सं. 4-2/2021- आईएस -10/आईएस.8) दिनांक 2 मार्च, 2022]

सिफारिश क्रम सं. 25

समिति यह नोट करके संतुष्ट है कि लेखापरीक्षित रिपोर्ट और वार्षिक प्रतिवेदनों को शीघ्र पूरा करने के लिए मंत्रालय द्वारा एक ऑनलाइन निगरानी प्रणाली शुरू की गई है और इन प्रतिवेदनों से संबंधित विभिन्न कार्यकलापों को पूरा करने के लिए मंत्रालय द्वारा एक समय सारणी भी निर्धारित की गई है। तदनुसार, समिति आग्रह करती है कि भविष्य में समय सीमा का सख्ती से पालन किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि सर्व शिक्षा अभियान के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को समय पर सभा पटल पर रखा जा सके।

सरकार का उत्तर

मंत्रालय वार्षिक प्रतिवेदनों को समय पर प्रस्तुत करने संबंधी अनुपालन के लिए राज्य पर सख्ती से समय-सारणी का पालन करने पर जोर देता है। इस संबंध में शिक्षा सचिवों को दिनांक 08.01.2020 का अ. शा. पत्र जारी किया गया था – **अनुबंध-एक**।

राज्य सरकार ने यह भी बताया है कि भविष्य में अनुपालन के लिए सिफारिश को नोट कर लिया गया है।

[शिक्षा मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग) का.ज्ञा. सं. 4-2/2021- आईएस -10/आईएस.8) दिनांक 2 मार्च, 2022]

सिफारिश क्रम सं. 26

समिति मंत्रालय पर यह नोट करने के लिए जोर डालती है कि जैसा कि समिति ने अपने पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में सिफारिश की थी कि एसएसए के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखा परीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब के मामले में, इसके कारणों को स्पष्ट करने वाला एक विवरण कि इन्हें निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर क्यों नहीं रखा जा सका, उपर्युक्त अवधि की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर या जैसे ही सदन समवेत हो, इनमें से जो भी बाद में हो, सदन के सभा पटल पर रखा जाना चाहिए।

सरकार का उत्तर

वित्त वर्ष की समाप्ति के 9 महीने के बाद, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के वार्षिक प्रतिवेदनों के लिए एक व्यापक रिपोर्ट तैयार की जाती है और प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए

प्रत्येक सदन से अगले संसद सत्र तक समय बढ़ाने की मांग की जानी है जिसके साथ संबंधित वार्षिक प्रतिवेदन को विलंब से सभा पटल पर रखने के कारण को भी स्पष्ट किया जाता है। वर्ष 2018-19 और 2019-20 के समग्र शिक्षा के वार्षिक प्रतिवेदनों को सभा पटल पर रखने के लिए समय बढ़ाने की मांग करते हुए पत्र **अनुबंध-दो** में रखे गए हैं।

[शिक्षा मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग) का.ज्ञा. सं. 4-2/2021- आईएस -10/आईएस.8) दिनांक 2 मार्च, 2022]

परिशिष्ट-II

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2021-2022) की 01.08.2022 को हुई तेरहवीं बैठक के कार्यवाही सारांश के उद्धरण।

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2021-2022)

समिति की बैठक सोमवार, 1 अगस्त, 2022 को 15:00 बजे से 15:30 बजे तक समिति कक्ष " **ग** ", संसद भवन एनेक्सी, नई दिल्ली में हुई ।

उपस्थित

श्री रितेश पांडेय - सभापति

सदस्य

2. डॉ. ए. चेल्लाकुमार
3. श्री पल्लव लोचन दास
4. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
5. श्री एस. रामलिंगम
6. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका
7. श्री अशोक कुमार यादव

सचिवालय

1. श्रीमती सुमन अरोड़ा - संयुक्त सचिव
2. श्री उत्तम चंद भारद्वाज - अपर निदेशक

X X X X X

2. सर्वप्रथम, माननीय सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें इस बैठक की कार्यसूची से संक्षेप में अवगत कराया।

3. तत्पश्चात्, समिति ने वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलम्ब से संबंधित निम्नलिखित विषयों पर चार प्रारूप प्रतिवेदनों और नौ की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदनों को विचार करने के लिए लिया :-

i. **X** **X** **X** **X** **X**;

ii. वस्त्र मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम (एनएचडीसी) लिमिटेड, नोएडा के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुआ विलम्ब;

iii. **X** **X** **X** **X** **X**;

iv. **X** **X** **X** **X** **X**;

v. **X** **X** **X** **X** **X**;

vi. **X** **X** **X** **X** **X**;

vii. हरियाणा प्राथमिक शिक्षा परियोजना परिषद, पंचकुला के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के संबंध में समिति के छत्तीसवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर शिक्षा मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग) द्वारा की-गई कार्रवाई;

viii **X** **X** **X** **X** **X**;

ix **X** **X** **X** **X** **X**;

x **X** **X** **X** **X** **X**;

xi **X** **X** **X** **X** **X**;

xii **X** **X** **X** **X** **X**; और

xiii **X** **X** **X** **X** **X**.

4. विचार-विमर्श के बाद, समिति द्वारा बिना किसी संशोधन के प्रतिवेदन और की-गई कार्रवाई प्रतिवेदनों को स्वीकार किया गया। समिति ने सभापति को संबंधित मंत्रालय/विभाग से तथ्यात्मक सत्यापन के आधार पर प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने और लोक सभा में प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया।

5-10. **X** **X** **X** **X** **X**

तत्पश्चात्, समिति की बैठक स्थगित हुई।